

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर  
email : higher-education@cg.gov.in

-- 0 --

क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /10/2021

05 OCT 2021

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1.	शास. शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा	बी.एस.सी. (विज्ञान)	158	30	188
		एम.एस.सी. (वनस्पति शास्त्र)	20	20	40
		बी.ए.	200	50	250
		एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	20	50
		बी.कॉम	70	15	85
		एम.कॉम	30	15	45
2.	शास. महाविद्यालय, दुर्गकोंदल	बी.एस.सी. (बायो)	60	60	120
		बी.ए.	60	60	120
3.	शास. लाल चकधर शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी	बी.एस.सी. (बायो)	150	10	160

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जाएगी:-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।

क्रमशः.....2

3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।

  
( ए.आर.खान )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

05/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 154/45/आउशि/योजना/2021-22, दिनांक 05.10.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-कांकेर/राजनांदगांव/बालोद(छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य, .....
4. की ओर सूचनार्थ प्रेषित,  
आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग